व तारीख
हुक्म की
में जारी हुए

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.
अपील सं. 13 / 2023
इन्द्राज पुत्र बनवारीलाल जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

अपीलांट

बनाम

1. दशरथ पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2018 प्रकरण संख्या 1 / 2018 जिसाकी रूह से अपीलाण्ट के नाम बैयनामा के आधार पर दर्ज इन्तकाल संख्या 908 चक 1 एफ. टी. पी. पटवार हल्का सहारणी तहसील टिब्बी को निरस्त करने का आदेश दिया गया, बमुराद मन्सूखी उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने अपील।

उपस्थितः— 1. श्री दलीप सारस्वत अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

—:निर्णयः—

दिनांकः — 28.03.2025

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि चक 7 एफ. टी. पी. के खाता संख्या 60 / 129 के पत्थर नंबर 213 / 244 (11) किला नंबर 8 ता 13, 19, 20 व पत्थर नंबर 211 / 244 (13) किला नंबर 25 व पत्थर नंबर 211 / 245 (16) किला नंबर 5, पत्थर नंबर 212 / 245 (17) किला नंबर 1 ता 3, 8 ता 10 कुल तादादी 4.048 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता में से शकुन्तलादेवी पत्नी महेन्द्र के नाम 1/6 हिस्सा व अनिता पत्नी सुरेशचन्द्र, शोभित पुत्र सुरेशचन्द्र के नाम ब0हि0ब0 1/6 हिस्सा कुल 1.350 हैक्टेयर भूमि दर्ज थी जो जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 23.02.2018 को अपीलाण्ट ने सप्रतिफल विक्रेता शकुन्तलादेवी, अनिता व शोभित से खरीद की तथा कब्जा भूमि विक्रेतागण ने अपीलाण्ट को मौका पर वरवक्त बैयनामा मौका पर संभलवा दिया गया। उसके पश्चात अपीलाण्ट के नाम उक्त बैयनामा के आधार पर राजस्व अभिलेख में इन्तकाल संख्या 908 दिनांक 11.05.2018 दर्ज किया गया।

तत्पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या 1 / 2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शकुन्तला पत्नी महेन्द्र कुमार, अनिता देवी पत्नी सुरेशचन्द्र उर्फ सुरेन्द्र कुमार, शोभित पुत्र सुरेशचन्द्र जाति बिश्नाई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी के नाम से चक 1 एफटीपी पटवार हल्का सहारणी जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 के खाता संख्या 56/52 में कुल रकबा 1.239 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खाला में मिकरा संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, मिकरान संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, चक 5 एफटीपी पटवार हल्का सहारणी जमाबंदी सम्वत् 2062 से 2065 खाता संख्या 65 / 54 में कुल रकबा 2.530 है० नहरी मय गैरमुमकिन में मिकरा संख्या 11/6 हिस्सा व मिकरान संख्या 2 का 1/6 हिस्सा व चक 7 एफटीपी पटवार हल्का कुलचन्द्र जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 2065 के खाता संख्या 116 / 112 कुल रकबा 4.048 है0 नहरी मय गैरमुमकिन में शकुन्तलादेवी का 1/6 हिस्सा व मिकरान संख्या 2 का 1 / 6 हिस्सा इस प्रकार सभी द्वारा कुल मिलाकर 2.605 है0 भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 01.01.2010 के प्रार्थी ने खरीद की थी, बैयनामा दिनांक 02.06.2005 के आधार पर चक 1 एफटीपी व 5 एफटीपी की भूमि का इन्तकाल प्रार्थी के

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

नाम दर्ज कर दिया गया परन्तु चक 7 एफटीपी की भूमि का इन्तकाल राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 6770/2010 अनवानी लीलाधर बनाम दशरथ में दिनांक 25.11.2010 को स्थगन आदेश जारी होने के कारण बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे इन्तकाल दर्ज नही किया गया। राजस्व मण्डल अजमेर का उक्त स्थगन आदेश अब भी प्रभावी है परन्तु चक 7 एफटीपी में भूमि विक्रेता शकुन्तला अनिता व शोभित जाति बिस्नोई निवासी गिलवाला के नाम दर्ज होने के कारण उनके बिना किसी अधिकार के साजिश करते हुए पुनः दिनांक 23.02.2018 को चक एफटीपी के खाता संख्या 160/129 की 4.048 है0 नहरी भूमि में से शकुन्तला के 1/6 हिस्सा 0675 है0 व अनिता एवं शोभित के 1/6 हिस्सा की 0.0675 है0 भूमि इन्द्राज (अपीलाण्ट) को कर दी व इस बैयनामा के आधार पर इन्द्राज के नाम इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया जबकि उक्त भूमि पूर्व में ही विक्रय की हुई थी व न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया गया है। विक्रेता द्वारा पूर्व में ही अपने हिस्सा की भूमि विक्रय करने के कारण पुनः भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार ही नहीं है। उक्त बैयनामा दिनांक 23.02.2018 कूटरचित दस्तावेज है इसलिए बैयनामा दिनांक 23.02.2018 के आधार पर किया गया इन्तकाल निरस्त किया जाना आवश्यक है इत्यादि कथन करते हुए चक 7 एफटीपी में विक्रेता शकुन्तला आदि द्वारा दिनांक 23.02.2018 को किये गये बैयनामा के आधार पर केता इन्द्राज के नाम किया गया इन्तकाल निरस्त किया जावे। यह कि रेस्पोडेंट संख्या 2 ने रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन के प्रार्थना पत्र को बिना किसी विधिसम्मत आधार के दिनांक 15.06.2018 को स्वीकार करते हुए इन्तकाल संख्या 908 को निरस्त किया गया व राजस्व अभिलेख में इन्तकाल के निरस्ती का अंकन किया गया। अपीलाण्ट इस आदेश से व्यथित होकर निम्नलिखित आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर रहा है:—

अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2018 कतई गलत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने व नैसर्गिक सिद्धान्तो के अनुरूप नहीं होने के कारण अपास्त होने योगय है । रेस्पोडेंट संख्या 2 तहसीलदार को पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र की सुनवाई की अधिकारिता नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को सुनने की अधिकारिता न होने के बावजूद भी विधि विरूद्ध रूप से पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर इन्तकाल निरस्ती का आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है जबकि अपीलाण्ट ने सद्भावी क्रेता रूप से शकुन्तलादेवी आदि से उनके हक व हिस्सा की कृषि भूमि सप्रतिफल जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 23.02.2018 खरीद की थी व विधिसम्मत रूप से उक्त रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 23.02.2018 के आधार पर राजस्व अभिलेख में इन्तकाल संख्या 908 दर्ज हुआ लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 2 ने इस इन्तकाल को विधि विरूद्ध रूप से निरस्त करने का आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही उक्त आधार पर अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 2 के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विनोद कुमार के मार्फत प्रस्तुत किया गया है, विधि अनुसार पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र मार्फत प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह प्रमाणित हो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विनोद कुमार को पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु मुखत्यारआम नियुक्त किया हो। विनोद कुमार को पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अधिकारिता ही नही थी। विनोद कुमार ने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अधिकारिता से बाहर जाकर प्रस्तुत किया है जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत न होने के कारण काबिल खारिजी है। रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा पारित इन्तकाल निरस्ती का आदेश लैण्ड रेवेन्यू एक्ट से बाहर जाकर पारित किया गया है जो कानूनन काबिल निरस्ती है। पुनर्विलोकन सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि कानूनन पुनर्विलोकन किसी आदेश में हुई त्रुटि को संशोधित किया जा सकता है, न कि आदेश को अपास्त किया जा सकता है । इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश अपास्त होने योग्य है । रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा पारित आदेश एकपक्षीय है, अपीलाधीन आदेश न तो नोटिस जारी किये और ना ही पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए भी अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है । यह कि अपीलाण्ट द्वारा जरिये बैयनामा शकुन्तलादेवी आदि से खरीद की गई कृषि भूमि अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में बैयनामा के

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

रूप से चली आ रही है लेकिन इस तथ्य के संबंध में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र का निर्णय करने से पूर्व कोई जांच नहीं की गई । अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया व ना ही अपीलाण्ट उक्त पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में पक्षकार था, इस कारण अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान नहीं था । अपीलाण्ट को माह अगस्त 2018 के प्रथम सप्ताह में अपीलाधीन आदेश का ज्ञान होने पर अपीलाण्ट ने पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 01.08.2018 को आवेदन किया जिस पर अपीलाण्ट को दिनांक 02.08.2018 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई और अब अपीलाण्ट बिना किसी देरी के यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी अवधि को मियाद अवधि से अपवर्जित किया जाकर अपीलाण्ट की अपील अन्दर मियाद ग्रहण फरमाई जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2018 को निरस्त फरमाया जावे व इन्तकाल संख्या 908 दिनांक 11.05.2018 विधिसम्मत होने के कारण बहाल रखे जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2018 को निरस्त फरमाया जावे व इन्तकाल संख्या 908 दिनांक 11.05.2018 विधिसम्मत होने के कारण बहाल रखे जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 दिनांक 15.06.2018 को निर्णय पारित किया गया है, जो विधि अनुसार है इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत कर धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें चुनौतीधीन निर्णय व आदेश की जानकारी अपील प्रस्तुत करने से एक सप्ताह पूर्व ही होना बताया है। अपीलांट ने विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलांट का दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।

पत्रावली अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि:–

1. प्रश्नगत भूमि शकुन्तला पत्नि महेन्द्र कुमार व अनिता देवी पत्नि सुरेशचन्द्र उर्फ सुरेन्द्र कुमार, शोभित वल्द सुरेशचन्द्र ने बैयनामा दिनांक 01.01.2010 द्वारा उक्त भूमि दशरथ पुत्र रूघाराम को बेचान कर दी थी। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निगरानी प्रकरण संख्या 6770/2010 अनवानी लीलाधर बनाम दशरथ में जारी स्थगन आदेश दिनांक 25.11.2010 के कारण उक्त बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज नही हो पाया। विक्रेता द्वारा उक्त भूमि पुनः बैयनामा दिनांक 23.02.2018 द्वारा इन्द्राज पुत्र बनवारी लाल को विक्रय कर दी गई। विक्रेता को उक्त भूमि पुनः बेचान करने का अधिकार नही था।
2. तत्पश्चात प्रार्थी दशरथ पुत्र रूघाराम के प्रार्थना पत्र पेश करने पर न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) टिब्बी द्वारा पुनर्वालोकन प्रार्थना पत्र प्रकरण सं0 01/2018 में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2018 से बैयनामा दिनांक 23.02.2018 के आधार पर दर्ज नामांतरण संख्या 908 दिनांक 11.05.2018 निरस्त किया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़